श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस
रजिस्टर्ड कार्यालय : जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली - 110 001
फोन नं. 011-23363729, 23365420, ईमेल : aissjc1906@gmail.com

श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के दिनांक 16 मई 2021 को होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव वर्ष 2021-2023 हेतु

"आदर्श चुनाव आचार संहिता"

1. चुनाव की घोषणा जारी होने से लेकर अंतिम परिणाम आने तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी । आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है, जिसका अंतिम निर्णय राष्ट्रीय चुनाव समिति करेगी :
   - चेतावनी
   - चुनाव प्रचार में भाग लेने पर रोक
   - उम्मीदवारी रद्द
2. चुनाव में भाग ले रहे सभी प्रत्याशी, चुनाव में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सद्भावना के साथ भाग लें, सभी प्रत्याशी व उनके समर्थक अपना प्रचार करते हुए संयमित व गरिमायुक्त भाषा का प्रयोग करें ।
3. चुनाव में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा प्रतिद्वंदी प्रत्याशी या उनके समर्थकों के परिवारिक व व्यक्तिगत जीवन या परिवार के सदस्य के प्रति टीका–टिप्पणी करना प्रतिबंधित होगा ।
4. किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थक पर व्यक्तिगत ऐसा आरोप–प्रत्यारोप न लगाएँ जिसका व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से कोई सम्बन्ध ना हो या फिर जिसकी सत्यता तब तक सिद्ध न हुई हो ।
5. चुनाव में मतदाता को किसी भी प्रकार का उपहार या प्रलोभन देना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । मतदाता को लुभाने या मतदान को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के धनबल व बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।
6. चुनाव प्रचार से सम्बन्धित प्रचार सभाएँ जैन स्थानकों, धार्मिक स्थलों व सभागारों में ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए आयोजित की जा सकती हैं । सभाओं में भोजन का प्रबंध सादगीपूर्ण व सीमित रूप में करें खर्चीले, भव्य व विशाल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा ।
7. सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों द्वारा अपना परिचय, अपने द्वारा विगत वर्षों में किए गए सामाजिक कार्यों का ब्यौरा व पद पर चुने जाने पर भविष्य में कार्यान्वित की जाने वाली कार्य योजना (In prescribed format) नामांकन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है ताकि उसे जैन प्रकाश / जैन कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट में प्रकाशित किया जा सके ।
8. चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी द्वारा या उसके पक्ष में उनके समर्थकों द्वारा जैन कॉन्फ्रेंस के तंत्र या पद का दुरुपयोग वर्जित रहेगा ।
9. प्रत्याशियों व उनके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार से पंथवाद, सम्प्रदायवाद या क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कार्य प्रतिबंधित रहेंगे ।
10. किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी रूप में या सोशल मीडिया पर श्रमण संघ व अन्य साधु–साध्वियों के प्रति किसी प्रकार की अप्रिय टीका–टिप्पणी करना अनुशासनहीनता माना जाएगा ।
11. सोशल मीडिया पर प्रचार संदेश भेजने वाले का नाम व फ़ोन नम्बर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा ।
12. चुनाव की प्रचार सामग्री पर मुद्रक का नाम व फ़ोन नम्बर छापना अनिवार्य होगा ।

12.03.2021

राजीव जैन
राष्ट्रीय सह–चुनाव अधिकारी
राष्ट्रीय चुनाव समिति की ओर से

दिनांक : 12 मार्च 2021